रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1974/कार्तिक 23, 1896

No. 278] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1974/KARTIKA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
Govt. of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November 1974

No. F. 5(9)-W&M/74.—Subscriptions for the issues of 5¼ per cent. Loan, 1978, 6 per cent. Loan, 1988 and 6¼ per cent. Loan, 1997 will be received from the 22nd of November 1974 in the form of cash. The issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions amount approximately to Rs. 175 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 25th November, 1974. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent. in excess of the sum of Rs. 175 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 192.50 crores (Nominal), partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 5¼ per cent. Loan, 1978 issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 22nd November 1978.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 22nd November 1978.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The loan will bear interest at the rate of 5¼ per cent. per annum from 22nd November 1974. Interest will be paid half-yearly on the 22nd May and 22nd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 6 per cent. Loan, 1988 issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 22nd November 1988.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 22nd November 1988.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 6 per cent. per annum from 22nd November 1974. Interest will be paid half-yearly on the 22nd May and 22nd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 6¼ per cent. Loan. 1997 issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 22nd November 1997.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 22nd November 1997.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 6¼ per cent. per annum from 22nd November 1974. Interest will be paid half-yearly on the 22nd May and 22nd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

6. **Place of payment of interest.**—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-treasury elsewhere in India, except the State of Jammu & Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu & Srinagar

7. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

8. Interest on all the Loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

9. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

10. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

11. **Applications for the Loans.**—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

12. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;

(b) Branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and

(c) Branches of the State Bank of India at other places in India.

13. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

14. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the bank concerned.

15. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the Paying Offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

B. MAITHREYAN,

Joint Secretary to the Government of India.

FORM OF APPLICATION

I/We

[Full name(s) in Block letters]

..... herewith tender *Cash Rs

..... *Cheque for Rs.

and request that securities of 5¼ per cent. Loan, 1978*/6 per cent. Loan, 1988*/6¼ per cent. Loan, 1997* of the nominal value of Rs. may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s) †interest to be payable at.....

Stock Certificate

Signature

Name in full

(Block letters)

Address

.....

.....

Dated the of November, 1974.

Note.—(1) Separate application should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate or Primissory Note) of the new Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or certified copies of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

(4) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (Obtainable from Public Debt Office) for transmission of half-yearly interest to them.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination required.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1974

स० एफ० 5 (9)—डब्ल्यू० ऐंड एम०/74—5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1978, 6 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1986 तथा 6½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1997 के लिए 22 नवम्बर, 1974 से ऋण नगद रकम के रूप में लिये जायंगे। ज्यों ही यह जान पड़ेगा कि इन ऋणों के लिए लगभग 175 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) प्राप्त हो चुके हैं, त्यों ही ऋण का लिया जाना बिना किसी सूचना के, बंद कर दिया जायगा और हर हालत में इनका लिया जाना 25 नवम्बर, 1974 को कार्यालय बन्द होने के समय पर बन्द कर दिया जायगा। सरकार को 175 करोड़ रुपये की रकम की 10 प्रतिशत तक अधिक रकम अपने पास रखने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के लिए 192.50 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से अधिक रकम प्राप्त हो तो अधिक मिली धनराशि का आंशिक आबंटन आनुपातिक आधार पर कर दिया जायेगा। यदि आंशिक आबंटन किया गया तो अतिरिक्त मिली रकम को आबंटन करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र वापस कर दिया जायगा। इस प्रकार वापस की गयी रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

3. 100.00 प्रतिशत पर जारी किया गया और 22 नवम्बर, 1978 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1978।

(i) **वापसी अदायगी की तारीख**—यह ऋण 22 नवम्बर, 1978 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायेगा।

(ii) **निर्गम मूल्य**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100.00 रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 100.00 रुपये होगा।

(iii) **ब्याज**—इस ऋण पर 22 नवम्बर, 1974 से 5½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायेगा। ब्याज की रकम 22 मई तथा 22 नवम्बर को छमाही किस्तों में अदा की जायेगी। नीचे दिये गये पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, दी गयी ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

4. 100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 22 नवम्बर, 1988 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 6 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1988।

(i) **वापसी अदायगी की तारीख**—यह ऋण 22 नवम्बर, 1988 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायेगा।

(ii) **निर्गम मूल्य**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100.00 रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 100.00 रुपया होगा।

(iii) **ब्याज**—इस ऋण पर 22 नवम्बर, 1974 से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायेगा । ब्याज की रकम 22 मई व 22 नवम्बर को छमाही किस्तों में अदा की जायेगी । नीचे दिये गये पैरा 7 व 8 के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, दी गयी ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

5. 100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 22 नवम्बर, 1997 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1997 ।

(i) **वापसी अदायगी की तारीख**—यह ऋण 22 नवम्बर, 1997 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायेगा ।

(ii) **निर्गम मूल्य**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100.00 रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 100.00 रुपया होगा ।

(iii) **ब्याज**—इस ऋण पर 22 नवम्बर, 1974 से $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जायेगा । ब्याज की रकम 22 मई व 22 नवम्बर को छमाही किस्तों में अदा की जायेगी । नीचे दिये गये पैरा 7 व 8 के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, दी गयी ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

अनुपूरक उपबन्ध

6. **ब्याज की अदायगी का स्थान**—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना, स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों व जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत में अन्यत्र किसी राजकोष या उपराजकोष में तथा जम्मू और श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायेगा ।

7. ब्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गयी कर की रकम की वापसी, ऋण देने वाले वे व्यक्ति ले सकेंगे जिन पर कर न लगता हो या जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया है ।

ऋण देने वाला वह व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो अथवा जिस पर निर्धारित दर से कम दर पर कर लगता हो, अपने जिले के आयकर अधिकारी को आवेदनपत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके अनुसार उसे ब्याज की रकम, कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के अनुसार कर की रकम काटने के बाद मिल सकेगी जो उस पर लागू होती है ।

8. अन्य पिछली सरकारी सिक्यूरिटियों पर मिलने वाले ब्याज सहित इस समय आमंत्रित सभी ऋणों पर मिलने वाले ब्याज पर तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस तरह की कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3,000, रुपया होगी और इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(ठ) के उपबन्ध भी लागू होंगे ।

9. सरकारी सिक्यूरिटियों में पहले से लगायी गयी पूंजी सहित इस समय जारी ऋणों में लगायी जाने वाली पूंजी और धन-कर अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अन्य पूंजी भी 1,50,000 रुपये तक धन-कर से मुक्त रहेगी ।

10. ये सिक्यूरिटियां निम्नलिखित रूपों में जारी की जायेंगी

(1) स्टाक, जिसके लिये आवेदन करने वालों को स्टाक सर्टीफिकेट दिये जायेंगे; अथवा

(2) प्रामिसरी नोट

यदि आवेदक अपनी पसन्द जाहिर नहीं करेंगे तो सिक्यूरिटियां प्रामिसरी नोट के रूप में जारी की जायंगी।

11. ऋण के लिये आवेदन पत्र—ऋण के संबंध में आवेदनपत्र अनिवार्यत; सौ रुपये या उसके गुणकों के लिये दिये जाने चाहिये।

12. ऋण के लिये आवेदन पत्र निम्नलिखित स्थान पर लिये जायेंगे :—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, (फोर्ट और बायखला), कलकता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, और पटना स्थित कार्यालय ;

(ख) हैदराबाद शाखा को छोड़कर, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की वे शाखाएं जो सरकारी राजकोष का कार्य करती हों; और

(ग) भारत में अन्य स्थानों पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

13. आवेदन इस अधिसूचना के साथ संलग्न पत्र (फार्म) के रूप में हो या किसी ऐसे अन्य रूप में हो जिसमें मांगी गयी सिक्यूरिटियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहां वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो।

14. आवेदन—पत्रों के साथ आवश्यक नकद रकम या चैक भेजे जाने चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंकों में दिये जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिये।

15. मान्यता प्राप्त बैंकों और दलालों को ऋण के लिये दिये गये उन आवेदन पत्रों के संबंध मे जिन पर उनकी मुहर हो, दिये गये आबंटनों पर 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायेगी।

दलाली की अदायगी के दावे को ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीनों के अन्दर भुगतान कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति के आदेश से

बी० मैत्रेयन,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आवेदन पत्र

मैं/हम----------

(पूरा/पूरे नाम साफ अक्षरों में)

----------इसके साथ----------

रुपये नकद*----------रुपये का चैक* पेश करता हूं /करते हैं और प्रार्थना करता हूं/ करते हैं कि मुझे/हमें 5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1978* /6 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1988*, 6½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1997* को ---------- रुपये के अंकित मूल्य की प्रति-भूतियां, प्रामिसरी नोट/स्टाक सार्टिफिकेट के रूप में जारी की जाए जिनका ब्याज---पर देय हो।

हस्ताक्षर----------

पूरा नाम ----------

(साफ अक्षरों में)

दिनांक ----------नवम्बर 1974 ----------

पता----------

टिप्पणी: (1) प्रत्येक ऋण और प्रत्येक प्रति भूति-पत्र (स्टाकपत्र या वचनपत्र) के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र दिये जाने चाहिये।

(2) यदि आवेदक ने हस्ताक्षर के रूप में अंगूठे का निशान लगाया हो तो उस पर दो गवाहों की तसदीक होनी चाहिये। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहिये।

(3) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाय तो निवेश संबंधी आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज, यदि ये सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न हों, लगा दिये जाने चाहियें:-

(1) पंजीकरण/निगम का प्रमाण-पत्र,

(2) निकाय/कम्पनी की बिहिर्नियमावली और अंतर्नियमावली या नियमों तथा विनियमों/उप-विधियों की प्रमाणित प्रति ;

(3) निकाय कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कारबार करने के लिये प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति ।

(4) जो आवेदक अपनी सिक्यूरिटियां, स्टाक सार्टिफिकेट के रूप में लेना चाहते हों उन्हें चाहिये कि छमाही ब्याज प्राप्त करने के लिये वे मेंडेट फार्म भी भरे जो सरकारी ऋण कार्यालय से मिल सकता है ।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाय ।

वचन–पत्र 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50 000 रुपये और 1, 00,000 रुपये के मूल्य वर्गों के जारी किये जायेंगे । यहां पर उन खास मूल्य–वर्गों का उल्लेख किया जाए, जिनकी आवश्यकता हो ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974